(12)

संख्या- 1/18/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2008

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिकॉर्ड का रख-रखाव और सूचना का प्रकाशन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में अधिकाधिक सूचना के स्वयं प्रकटीकरण के प्रावधान के माध्यम से लोक प्राधिकारियों के काम-काज में पारदर्शिता की एक व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित की गई है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 का सहारा न लेना पड़े । अधिनियम का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसका अनुपालन, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है ।

2. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने सभी रिकॉर्डों को सूचीकृत और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) बना कर रखना बाध्यकर है । इस प्रावधान के अनुसार रिकॉर्ड प्रबंधन, लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना मुहैया करवाने में सक्षम बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है । इस खंड में लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह अपने रिकॉर्डों को कम्प्यूटरीकृत करे और उन्हें देश भर में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दे । लोक प्राधिकारियों से, इस खंड की अपेक्षाओं को उच्चतम वरियता के आधार पर पूरा करने की प्रत्याशा की जाती है ।

3. उपर्युक्त उप धारा के खंड (ख) के अनुसार लोक प्राधिकारियों के लिए यह अधिदेशात्मक है कि वे उसमें उल्लिखित सूचनाओं का प्रकाशन, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर करवाएं । आशा की जाती है कि सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अपेक्षा का अनुपालन पहले ही किया जा चुका होगा । यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसका अनुपालन बिना कोई और विलंब किए सुनिश्चित कर लिया जाए ।

4. अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारियों के लिए यह बाध्यकर है कि वे जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय और निर्णय घोषित करते समय सभी संगत तथ्यों को प्रकाशित करें । वे खंड (घ) के अनुसार प्रभावित पक्षों को अपने प्रशासनिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक निर्णयों के संबंध में कारण बताने के लिए भी बाध्य हैं ।

(11)

5. अधिनियम की धारा 4 में यह अपेक्षित है कि स्वतः प्रकाशनीय सूचनाओं का व्यापक प्रसार, इस रूप और इस ढंग से किया जाए कि वह जनता तक पहुंच सके । सूचना का प्रसार नोटिस बोर्डों, समाचार पत्रों, सार्वजनिक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किन्हीं अन्य साधनों/माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। सूचना का प्रसार करते समय प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संबंधित स्थानीय क्षेत्र में लागत प्रभाव, स्थानीय भाषा और संचार की सर्वाधिक प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखना चाहिए । लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना, जहां तक संभव हो, इलैक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध होनी चाहिए जो जनता को निःशुल्क अथवा यथा निर्धारित शुल्क पर मुहैया करवाई जा सके । पैरा 3 में उल्लिखित प्रकाशित दस्तावेज़ की एक प्रति और उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित प्रकाशनों की प्रतियां लोक प्राधिकारी के एक अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए और इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होनी चाहिए ।

6. अनुरोध है कि आप राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों को उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुपालन करने के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करें । आपसे यह भी प्रार्थना है कि उक्त कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जाए ।

भवदीय,

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

पृ०कमांक: एफ 11–24/सूअप्र/08/1–9/764 भोपाल, दिनांक 02/09/2008

प्रतिलिपिः–

शासन के समस्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मन्त्रालय, भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस०सी०पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सा०प्र०वि०(सूअप्र), मंत्रालय.

(14)

संख्या-13/10/2007-आईआर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दि

दिनांक 29 अप्रैल, 20

सेवा में,

1. केन्द्रीय सूचना आयोग,
   अगस्त क्रांति भवन,
   भीकाजी कामा प्लेस,
   नई दिल्ली ।

2. सभी राज्य सूचना आयोग ।

विषय: विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305 – अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी त
अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य ।

****

महोदय,

मुझे अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य [वि सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305] के मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा की निम्नलिखित टिप्पणियों को केन्द्रीय सूचना आयोग और सभी राज्य सूचना आयोगों के ध्यान लाने का निदेश हुआ है:

> "धारा 18 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है और मुख्य सूचना आयुक्त जॉच-पड़ताल आरम्भ कर सकता है और अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार शास्ति लगा सकता है । जांच पड़ताल करते समय, अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, दस्तावेजों की खोज और जांच की आवश्यकता होने पर व्यक्तियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने

(13)

और उनको शपथ के साथ मौखिक औरि लिखित साक्ष्य देने हेतु बाध्य करने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा इसकी प्रतियां मांगने के सम्बन्ध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं । लेकिन अब तक, जहां तक शुल्क की वापसी का सम्बन्ध है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अंतर्गत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना वाला विषय है । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, शुल्क वापसी का आदेश जारी करने की कोई भी शक्ति, क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं है ।"

भवदीय

(के.जी. वर्मा)

निदेशक

दूरभाष: 2309215

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

पृ0कमांक: एफ 11–24/सूअप्र/08/1–9/765 भोपाल, दिनांक 02/09/2008

प्रतिलिपि:–

शासन के समस्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सा0प्र0वि0(सूअप्र), मंत्रालय

अनुबन्ध

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2008-आई०आर० दिनांक : 25-4-2008.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी भेजना लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है । यह संभव है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम न करे अथवा आवेदक उसके निर्णय से संतुष्ट न हो । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान है । पहली अपील लोक प्राधिकरण के भीतर ही होती है, जो संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट अधिकारी को की जाती है । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रैंक में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है । दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग में की जाती है । केन्द्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2005 अपील पर आयोग द्वारा निर्णय की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है । इस दस्तावेज में निहित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए हैं ।

2. अपने कर्तव्य का प्रभावी रूप से निष्पादन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को चाहिए कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और इसके प्रावधानों को भली-भांति समझे । इस दस्तावेज में अधिनियम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या की गई है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को विशेष रूप से मालूम होनी चाहिएँ ।

सूचना क्या है

3. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री "सूचना" है । इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है । इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है ।

अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार

4. नागरिकों को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है । इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है ।

5. अधिनियम नागरिकों को, संसद-सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है । अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

6. नागरिकों को डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित है, जिससे उसे डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सके ।

7. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है । तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में माँगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डों के परिरक्षण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है ।

8. अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है । अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते वह अपना नाम इंगित करे । ऐसे

(4)

मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना माँगी गई है ।

9. अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियन्त्रण में है । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना ; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है ।

<u>प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना</u>

10. इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है । फिर भी, धारा 8 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो । इसके अलावा धारा 8 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (झ) में उपबन्धित सूचना के सिवाय उस उप-धारा के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना, सम्बद्ध घटना के घटित होने की तारीख के 20 वर्ष बाद प्रकटीकरण से मुक्त नहीं रहेगी ।

11. स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे अभिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रखें । लोक प्राधिकरण को प्राधिकरण में लागू अभिलेख धारण अनुसूची के अनुसार ही अभिलेखों को संरक्षित रखना चाहिए । किसी फाइल में सृजित जानकारी फाइल/अभिलेख के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप में मौजूद रह सकती है । अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि धारा 8 की उप धारा (1) के अंतर्गत – प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी, 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए । अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी से

संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जाएगी । तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिए प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा :-

(i) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा कोई अपराध भड़कता हो ;

(ii) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो ; अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज ।

<u>सूचना का अधिकार बनाम अन्य अधिनियम</u>

12. सूचना का अधिकार अधिनियम का अन्य विधियों की तुलना में अधिभावी प्रभाव है । शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, की उपस्थिति की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

<u>सूचना माँगने का शुल्क</u>

13. आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना माँगने का निर्धारित शुल्क 10/-रुपए (दस रुपए) नकद अथवा मांग पत्र अथवा बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम से भेजें । सूचना की

आपूर्ति के लिए सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

(क) सृजित अथवा फोटोकॉपी किए हुए प्रत्येक पेज (ए 4 अथवा ए 3 आकार) कागज के लिए दो रुपए (2/- रुपए) ;

(ख) बड़े आकार के कागज में कापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत ;

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत ;

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए पाँच रूपए का शुल्क (5/-रुपए) ;

(ड.) डिस्केट अथवा फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक डिस्केट अथवा फ्लॉपी पचास रुपए (50/-रुपए)

(च) मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकापी के दो रुपए प्रति पृष्ठ ।

14. गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निर्धारित 10/-रुपए के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण , जैसा भी मामला हो, नहीं होने पर आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं माना जाएगा और इसीलिए, ऐसे आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का हक नहीं होगा ।

15. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यह निर्णय लेता है कि सूचना आवेदन शुल्क के अतिरिक्त और शुल्क के भुगतान पर सूचना दी जाएगी तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना भी दे :-

(5)

(i) अन्य शुल्क के ब्यौरे, जिसका भुगतान अपेक्षित है ;

(ii) मांगी गई शुल्क की राशि के परिकलन का ब्यौरा ।

आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र

16. आवेदक को सूचना माँगने के लिए कोई कारण अथवा उसे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक विवरण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा देना आवश्यक नहीं है । साथ ही, अधिनियम अथवा नियमों में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है । इसलिए, आवेदक से सूचना का निवेदन करने का कारण बताने अथवा अपने रोजगार इत्यादि का ब्यौरा देने अथवा किसी विशेष स्वरूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए ।

आवेदन का हस्तांतरण

17. यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाणपत्र संलग्न है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदन की विषय-वस्तु अथवा उसका कोई खण्ड किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित तो नहीं है । यदि आवेदन की विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हो, तो उक्त आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए । यदि आवेदन आंशिक रूप से ही अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो उस लोक प्राधिकरण से संबंधित खण्ड को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन की एक प्रति उस लोक प्राधिकरण को भेज देनी चाहिए । आवेदन का हस्तांतरण करते समय अथवा उसकी प्रति भेजते समय संबंधित लोक प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए कि आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है । आवेदक को उसके आवेदन के स्थानांतरण के बारे में तथा उस लोक प्राधिकरण, जिसको उनका आवेदन अथवा उसकी एक प्रति भेजी गई है, के ब्यौरों के बारे में भी सूचित कर देना चाहिए ।

18. आवेदन अथवा उसके भाग का हस्तांतरण जितना जल्दी संभव हो, कर देना चाहिए । यह ध्यान रखा जाए कि हस्तांतरण करने में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन से अधिक का समय न लगे । यदि कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी किसी आवेदन की प्राप्ति के पांच दिन के बाद उस आवेदन को स्थानांतरित करता है तो उस आवेदन के निपटान में होने वाले विलम्ब में से इतने समय के लिए वह जिम्मेदार होगा जो उसने स्थानांतरण में 5 दिन से अधिक लगाया ।

19. उस लोक प्राधिकरण का केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जिसे आवेदन हस्तांतरित किया गया है, इस आधार पर आवेदन के हस्तांतरण को नामंजूर नहीं कर सकता कि उसे आवेदन 5 दिन के भीतर हस्तांतरित नहीं किया गया ।

20. कोई लोक प्राधिकरण अपने लिए जितने आवश्यक समझे उतने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पदनामित कर सकता है । यह संभव है कि ऐसे लोक प्राधिकरण जिसमें एक से अधिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी हों, कोई आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी के बजाय किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो । ऐसे मामले में आवेदन प्राप्त करने वाला केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को इसे संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को यथाशीघ्र, अधिमानत:, उसी दिन हस्तांतरित कर देना चाहिए । हस्तांतरण के लिए पांच दिन की अवधि केवल तभी लागू होती है जब आवेदन एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है ना कि तब जब हस्तांतरण एक ही प्राधिकरण के एक केन्द्रीय सूचना अधिकारी से दूसरे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को हो ।

<u>सूचना की आपूर्ति</u>

21. उत्तर देने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि मांगी गई सूचना अथवा उसका कोई भाग अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त तो नहीं है । आवेदन के छूट के अन्तर्गत आने वाले भाग के संबंध में किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए तथा शेष सूचना तत्काल अथवा अतिरिक्त शुल्क लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, मुहैया करवा दी जानी चाहिए ।

(7)

पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की आपूर्ति

22. यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को ही प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है जो छूट के अन्तर्गत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किए हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए, तो जानकारी के ऐसे पृथक किए हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है । जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति दी जाए तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है । ऐसा करते समय, उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए । साथ ही उस सामग्री, जिस पर निष्कर्ष आधारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए । इन मामलों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए ।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि

23. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कर देनी चाहिए । यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित है ।

24. प्रत्येक लोक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक उप प्रभागीय स्तर अथवा अन्य उप जिला स्तर पर केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित करे जो अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों अथवा अपीलों को प्राप्त कर सके और उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रेषित कर दे । यदि सूचना के लिए कोई अनुरोध केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 35 दिन के भीतर तथा यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो, तो सूचना अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटों तथा 5 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए ।

25. एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित किये गए सामान्य आवेदन का उत्तर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को उसके द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दे देना

चाहिए । यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना मुहैया करवा दी जानी चाहिए ।

26. इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना तथा सुरक्षा संगठनों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना के लिए आवेदन आ सकते हैं । मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना, जो केन्द्रीय सूचना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है, अनुरोध प्राप्ति की तारीख के 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जानी चाहिए । भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सूचना की आपूर्ति करने हेतु निर्धारित समय अवधि अन्य मामलों के समरूप ही है ।

27. यदि आवेदक से अतिरिक्त शुल्क देने को कहा जाता है तो शुल्क के भुगतान के बारे में सूचना के प्रेषण तथा आवेदक द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बीच की समय अवधि को उत्तर देने की अवधि के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा । निम्न तालिका में विभिन्न परिस्थितियों में आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा को दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-सीमा
1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
2.	यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति	48 घंटे
3.	यदि आवेदन केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति	क्र.सं. 1 तथा 2 पर दर्शायी गई समय अवधि में 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे
4.	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति (क) सामान्य स्थिति में (ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो	(क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर (ख) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर

5.	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति (क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (ख) यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो	(क) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर (ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
6.	यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तथा तीसरी पार्टी ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना की आपूर्ति	इन मार्गनिर्देशों के पैरा 32 से 36 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए मुहैया करवाई जाए
7.	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया हो	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा ।

28. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जानकारी के लिए अनुरोध पर निर्धारित समय में निर्णय देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है । यह बताना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई लोक प्राधिकरण सूचना देने की समय सीमा का पालन नहीं कर पाता है तो संबंधित आवेदक को सूचना बिना शुल्क मुहैया करवाई जानी होगी ।

प्रथम अपील

29. अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि में या तो आवेदक को उसके द्वारा मांगी गई सूचना दे दी जानी चाहिए या उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । यदि आवेदक से अतिरिक्त शुल्क लिया जाना अपेक्षित है तो उसे इस सम्बन्ध में सूचना भेजने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सूचित कर दिया जाना चाहिए । यदि आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना अथवा अनुरोध के अस्वीकार होने का निर्णय अथवा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है । यदि अभ्यर्थी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के सूचना देने के सम्बन्ध में अथवा शुल्क की मात्रा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से व्यथित हो तो भी वह अपील कर सकता है ।

तीसरी पार्टी की सूचना के संदर्भ में अपील

30. इस अधिनियम के संदर्भ में तीसरी पार्टी का तात्पर्य आवेदक से भिन्न अन्य व्यक्ति से है । ऐसे लोक प्राधिकरण भी तीसरी पार्टी की परिभाषा में शामिल होंगे जिससे सूचना नहीं मांगी गई है ।

31. स्मरणीय है कि वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों और बौद्धिक सम्पदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुंचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है । धारा 8(1)(घ) के अनुसार यह अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को प्रकट न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोक हित में प्राधिकृत है ।

32. यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तीसरी पार्टी से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तीसरी पार्टी ने ऐसी सूचना को गोपनीय माना है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करे । ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भावित हानि की अपेक्षा बृहत्तर लोक हित सधता हो तो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाए बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबन्धित न हो । तथापि, ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया जाए । यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रक्रिया को केवल तभी अपनाया जाना है जब तीसरी पार्टी ने सूचना को गोपनीय माना हो ।

33. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्ति की तारीख के 5 दिन के भीतर, तीसरी पार्टी को एक लिखित सूचना देनी चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना को प्रकट करना चाहता है । उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना को प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे । तृतीय पक्ष को प्रस्तावित प्रकटन, के विरूद्ध प्रतिवेदन करने के लिए दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

34. केन्दीय लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय ले । ऐसा निर्णय सूचना के अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए । निर्णय लिए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को लिखित में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय की सूचना

(4) 13

समय लगे, अपीलीय प्राधिकारी को चाहिए कि वह विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे ।

40. यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो (i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निदेश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को वह स्वयं जानकारी भेज सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए । हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा रास्ता अपनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे ।

41. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो । ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्रवाई करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

पृ0क्रमांक एफ 11–24/सूअप्र/08/1–9 766 भोपाल, दिनांक 02/09/2008

प्रतिलिपि–

शासन के समस्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सा0प्र0वि0(सूअप्र), मंत्रालय.

(16)

सं. 1/3/2008-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना माँगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करे । यह सम्भव है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करे अथवा आवेदनकर्त्ता उसके निर्णय से संतुष्ट न हो । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान किया गया है । प्रथम अपील लोक प्राधिकरण के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील केन्द्रीय लोक सूचना आयोग के समक्ष होती है । आयोग के द्वारा अपीलों का निस्तारण केन्द्रीय लोक सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । दूसरी ओर, प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करे । प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए एक गाइड तैयार की गई है जिसकी एक प्रति इस ज्ञापन के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न की गई है । आशा है कि यह गाइड उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध होगी ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे गाइड की विषयवस्तु को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के ध्यान में लाएँ ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

... 2/- ...

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सूचना आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।

प्रति प्रेषितः- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव । अनुबंध में समाहित दिशानिर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के बाद राज्यों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों पर भी लागू होते हैं । राज्य सरकारें अपने प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए भी ऐसे ही दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती हैं ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

पृ0कमांकः एफ 11–24/सूअप्र/08/1–9 |716 भोपाल, दिनांक 02/09/2008

प्रतिलिपिः–

शासन के समस्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सा0प्र0वि0(सूअप्र), मंत्रालय.

संख्या : 4/9/2008-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 24 जून, 2008.

कार्यालय आदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना माँगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार ।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं । अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गई सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें । किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए ।

2. अनेक संगठन/प्रशिक्षण संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं । लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लोक सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लें । लोक प्राधिकरण भी अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं । इस प्रकार के प्रशिक्षणों में अधिकारियों को सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्र व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए ।

3. आयोग ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई है कि कई लोक प्राधिकरणों ने अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत संगत जानकारी प्रकाशित नहीं की है । सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार सूचना का स्वत: प्रकटन अब बिना किसी विलंब के हो जाए । यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

.....2/.....